

प्रेस विज्ञप्ति
कोतवाली बहेडी जनपद बरेली ।

बहेडी के सर्राफा व्यवसायी राजू रस्तोगी की लूट सहित हत्या की घटना में शामिल अपराधियों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में कोतवाली बहेडी के प्रभारी निरीक्षक सतेन्द्र भड़ाना के नेतृत्व में संगठित अपराधियों के विरूद्ध सतत् रूप से प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कार्यवाही करते हुए स्थानीय थाना बहेडी पर दिनांक 17.02.2022 को पंजीकृत मु0अ0सं0 124/2022 धारा 302/394/34/411 भादवि में सम्मिलित अभियुक्तगण शिवम रस्तोगी आदि 03 संगठित अपराधियों पर दिनांक 16.07.2022 को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है । उल्लेखनीय है कि इन सभी अभियुक्तों द्वारा कस्बा बहेडी के मोहल्ला रामलीला में वादी श्री मनोज कुमार पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता के भाई विनय कुमार उर्फ राजू रस्तोगी पुत्र ओमप्रकाश नि0 मो0 रामलीला कस्बा व थाना बहेडी, बरेली की लूट सहित हत्या उनके ही घर में कर दी गयी थी और घर से जेवर 03 हार, 08 चूड़ी, 05 अंगूठी, 02 चैन व घर में गिरवी का सामान जिसमें 04 लाख 30 हजार नकदी की सम्पत्ति लूट ली गयी थी । पुलिस द्वारा अभियुक्तगण से हत्या में प्रयुक्त गाड़ी QUID NO UP 26 AE 0636, मृतक विनय कुमार उर्फ राजू के घर से लूटे गये 1,15,000/- रूपये, 30 ग्राम सोना, एक सोने का पैण्डल चैन, एक सोने की अंगुठी मर्दानी, एक सोने की जनानी अंगुठी एवं एक सोने की चैन जिसमें दिलनुमा सोने का लाकेट लगा था बरामद किया गया था । इस घटना में संलिप्त संगठित तीन अपराधियों पर थाना बहेडी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है । उल्लेखनीय है कि वर्तमान में यह तीनों अभियुक्त हत्या सहित लूट की उपरोक्त घटना में जिला कारागार बरेली में निरूद्ध है ।

नाम अभियुक्तगण:-

1. शिवम रस्तोगी पुत्र स्व0 रुपकिशोर रस्तोगी नि0 मुडिया नवी बक्श थाना बहेडी जनपद बरेली ।
2. राकेश ढाली पुत्र नीलू ढाली नि0 ग्राम पिपलिया चाटो भूडिया कालोनी थाना बहेडी जिला बरेली ।
3. विपुल सरकार पुत्र विमल सरकार नि0 मटईया लालपुर थाना माधो टांडा जिला पीलीभीत ।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 124/2022 धारा 302/394/34/411 भादवि थाना बहेडी जनपद बरेली ।
2. मु0अ0सं0 580/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बहेडी जनपद बरेली ।

आपराधिक इतिहास शिवम रस्तोगी पुत्र स्व0 रुपकिशोर रस्तोगी नि0 मुडिया नवी बक्श थाना बहेडी जनपद बरेली –

1. मु0अ0सं0 124/2022 धारा 302/394/34/411 भादवि थाना बहेडी जनपद बरेली ।
2. मु0अ0सं0 580/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बहेडी जनपद बरेली ।
3. मु0अ0सं0 440/2016 धारा 304-B/498-A भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि थाना बहेडी जनपद बरेली